

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 1972/पौष 2, 1894

No. 304]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 1972/PAUSA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd December 1972

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 8 of the Indian Iron and Steel Company (Taking Over of Management) Act, 1972 (50 of 1972), the Central Government hereby specifies the following exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall apply to the Indian Iron and Steel Company, namely:—

Section 175, in so far as it relates to the election of the Chairman for a general meeting of the shareholders of the company, shall apply with the following modifications, namely:—

- (i) in sub-section (1), for the words "the members personally present at the meeting shall elect one of themselves to be the chairman thereof on a show of hands", the words "the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, nominate a person to be the chairman of the meeting." shall be substituted;
- (ii) sub-section (2) and (3) shall not apply.

[No. Ind. II-7(114)/72.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1972

सां.कां. नि० 494 (अ).—इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 50) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित अपवाद, निर्वन्धन और परिसीमाएं निश्चित करती हैं, जिनके अधीन कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को लागू होगा, अर्थात् :—

धारा 175, जहां तक कम्पनी के अंशधारियों के साधारण अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के चुनाव का संबंध है, निम्नलिखित उपांतरण के साथ लागू होगी, अर्थात् :-

(i) उप-धारा (1) में “अधिवेशन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक को हाथ उठाकर उस अधिवेशन का अध्यक्ष चुनेंगे” शब्दों के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक व्यक्ति को अधिवेशन का अध्यक्ष नामित करेगी” शब्द रखे जायें।

(ii) उपधाराएं (2) और (3) लागू नहीं होंगी।

[संख्या इन्डस्ट्री II-7 (114)/72]

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by section 175 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines, Department of Steel No. Ind. II-7(114)/72 GSR 494(E), dated 23rd December, 1972, the Central Government hereby nominates Shri Arabinda Ray, Custodian, Indian Iron and Steel Co., Ltd., as the Chairman of the annual general meeting of the Indian Iron and Steel Company Limited to be held on the 29th December, 1972.

[No. Ind. II-7(114)/72(1).]

K. V. RAMANATHAN, Jt. Secy.

सां.कां.नि० 495 (अ).—भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय, इस्पात विभाग की दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या इन्डस्ट्री II-7 (114)/72, सां.कां. नि० 494 (अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 175 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अभिरक्षक श्री अरविन्द रे को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के 29 दिसम्बर, 1972 को होने वाले वार्षिक साधारण अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या इन्डस्ट्री II-7 (114)/72 (i)]

क० वे० रामनाथन्, संयुक्त सचिव।

